AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

आधुनिक भारत के एक वास्तुकारः डॉ. भीमराव अम्बेडकर

ORIGINAL ARTICLE

Author

डॉ. राघवेन्द्र सिंह सिकरवार,

सहायक प्राध्यापक,

संत योगी मानसिंह शिक्षा महाविद्यालय,

ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

शोध सार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर बहुआयामी व्यक्तित्व – एक बुद्धिजीवी, एक समाज सुधारक, एक लेखक, एक अर्थशास्त्री, एक वकील, एक देश भक्त, एक दार्शनिक, दलितों के मसीहा तथा संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। आपको भारत के प्रथम मौद्रिक अर्थशास्त्री होने का भी गौरव प्राप्त है। आपने दलितों को न्याय दिलाने तथा समाज में समता लाने हेतु आजीवन प्रयास किये। हिन्दू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को समता का अधिकार न दिला पाने अर्थात् हिन्दू कोड बिल को लागू न करा पाने से क्षुब्ध होकर कैबिनेट से इस्तीफा देने से भी संकोच नही किया। आपके अनुकरणीय कार्यो के फलस्वरूप आपको मरणोपरांत सन् 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया। आधुनिक भारत की नींव रखने में आपके योगदानों के कारण आपको भारत के वास्तुकारों में गिना जाना कोई अतिश्योक्ति नहीं है। इस शोध कार्य का उद्देश्य डॉ. अम्बेडकर की भारत के संदर्भ मे भूमिका का अध्ययन करना है जिसके लिये वर्णात्मक पद्धति को अपनाया गया है।

मुख्य शब्द

दलित, समाज, असमानता, लैंगिक समानता, मौद्रिक अर्थशास्त्री।

परिचय

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश कालीन समय में मध्य भारत प्रांत के (वर्तमान मे मध्यप्रदेश) महु नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम राम जी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इनका परिवार कबीरपंथ का अनुयायी था जो मूल रूप से वर्तमान मे रत्नागिरी जिले के आंबेडवे गाँव से संबंधित था। आपका जन्म हिन्दू महार जाति के घर हुआ था, जो कि दलित समाज से संबंधित मानी जाती थी। आपको बचपन में भिवा/भीम/भीम राव आदि नामों से संबोधित किया जाता था। आपके पिता ने हाईस्कूल में प्रवेश के समय इनका नाम भिवा राम जी आंबडवेकर दर्ज कराया। बाद में एक शिक्षक जो भीम राव से विशेष स्नेह करते थे उनके नाम से आंबडवेकर हटाकर अपना सरल उपनाम अम्बेडकर करा दिया, तब से आज तक हम इन्हें डॉ. भीम राव रामजी अम्बेडकर/ डॉ. भीमराव अम्बेडकर अथवा बाबा साहब के नाम से जानते हैं। पूर्व काल में बाल विवाह का प्रचलन था, जिसके कारण अल्पआयु में ही इनका विवाह रमा बाई से हो गया था। 1935 में रमा बाई का निधन हो गया था, जिसके पश्चात 1948 में आपने डॉ. शारदा कबीर से दूसरा विवाह कर लिया था, विवाह उपरान्त डॉ. शारदा कबीर ने सविता अम्बेडकर नाम अपना लिया था।

हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के पश्चात् कालांतर में आपने मुम्बई के बॉम्बे विश्वविद्यालय से बी.ए. की उपाधि प्राप्त

की, इसके कुछ समय पश्चात् बड़ौदा के तत्कालीन गायकवाड़ राज परिवार की ओर से इन्हें तीन वर्ष हेतु छात्रवृत्ति प्रदान कर कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने हेतु भेज कर सहायता प्रदान की गई। आपने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। सन् 1916 में आपने कानूनी शिक्षा ग्रहण करने हेतु ग्रेज इन में प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इक्नोमिक्स से अर्थशास्त्र में शोध उपाधि पर कार्य करना प्रांरभ कर दिया था। इसी मध्य छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होने के कारण आपको मध्य में ही पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आना पड़ा। कुछ वर्ष पश्चात् पुनः लंदन गये और अपना अध्ययन पूर्ण किया। 6 दिसंबर 1956 को आपका निधन हो गया था।

राजनैतिक जीवन

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने औपचारिक रूप से अपना राजनैतिक जीवन 1926 से प्रांरभ किया और शेष सम्पूर्ण जीवन काल में वह राजनीति से जुड़े रहे। सर्वप्रथम वर्ष 1926 के अंत में बॉम्बे के गर्वनर ने इन्हें बॉम्बे विधान परिषद् के सदस्य के रूप में नामित किया जहाँ 1936 तक बॉम्बे विधान परिषद् के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। वर्ष 1936 में अम्बेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। आपने 1942 में ऑल इंडिया शेडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन नामक सामाजिक/राजनैतिक संगठन की स्थापना की। सन् 1942 से 1946 के मध्य आपने रक्षा सलाहकार समिति एवं वायसराय की कार्यकारी परिषद् में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। आपने भारतीय स्वतंत्रता की लडाई में भी सक्रिय रूप से सहयोग किया। आप गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा अछूतों के लिये कार्य करने का ढोंग करने पर निरंतर इनकी आलोचना करते रहे। सन् 1952 में अम्बेडकर राज्य सभा के सदस्य बन गये और अप्रैल 1956 में पुनः राज्य सभा के सदस्य बने किन्तु दूसरा कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व ही दिसंबर 1956 में ही आपका निधन हो गया।

संविधान निर्माण

स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन में आपको पहले कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में कार्य करने का दायित्व सौपा गया और आपको नये संविधान की रचना करने हेतु बनी मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आपके मार्गदर्शन में ही हमारे संविधान को मूर्त रूप प्रदान किया गया।

अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के पाठ में व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संवैधानिक गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें धर्म की आजादी, छुआछूत को खत्म करना और भेदभाव के सभी रूपों का उल्लंघन करना शामिल है। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया, और अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने के लिए असेंबली का समर्थन जीता, जो कि सकारात्मक कार्रवाई थी।

अनुच्छेद 370 का विरोध

अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का विरोध किया, जिसने जम्मू–कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया और जिसे उनकी इच्छाओं के ख़िलाफ संविधान में शामिल किया गया था। बलराज माधोक ने कहा था कि, अम्बेडकर ने कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को स्पष्ट रूप से बताया था– ''आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की आपूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए। लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए, मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होंगी, भारत यह कभी नहीं करेगा। ''फिर अब्दुल्ला ने नेहरू से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें गोपाल स्वामी अयंगार को निर्देशित किया, जिन्होंने बदले में वल्लभभाई पटेल से संपर्क किया और कहा कि नेहरू ने स्के से वादा किया था। पटेल द्वारा अनुच्छेद पारित किया गया, जबकि नेहरू एक विदेश दौरे पर थे। जिस दिन लेख चर्चा के लिए आया था, अम्बेडकर

ने इस पर सवालों का जवाब नहीं दिया लेकिन अन्य लेखों पर भाग लिया। सभी तर्क कृष्णा स्वामी अयंगार द्वारा किए गए थे।

समान नागरिक संहिता

संविधान सभा में अम्बेडकर ने एक समान नागरिक संहिता अपनाने की इच्छा प्रकट की थी। सन् 1951 मे संसद मे हिन्दू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने से क्षुब्ध होकर अपने केन्द्रीय मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया। डॉ. अम्बेडकर इस बिल के माध्यम से उत्तराधिकार, महिलाओं को समान अधिकार, लैंगिक समानता जैसी स्थितियों में सुधार करना चाहते थे।

आर्थिक क्षेत्र

भारतीय रिजर्व बैंक को अम्बेडकर के विचारों के आधार पर ही स्थापित किया गया था, यह सुझाव डॉ. अम्बेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किये थे। आपने मौद्रिक अर्थशास्त्री के रूप में भी प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया था। अम्बेडकर के जीवन का ध्येय शोषित तथा दलितों के सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा करना था और ये उद्देश्य राज्य की सहायता के बिना संभव नही था इसलिए अम्बेडकर ने राज्य समाजवाद को प्राथमिकता दी। जिसके अन्तर्गत मूल उद्योगों का स्वामित्व राज्य के हाथ में हो और सारे कार्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों तथा निर्देशन के आधार पर नियन्त्रित हों।

धार्मिक पक्ष

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्य है। अम्बेडकर के अनुसार ''मनुष्य मात्र रोटी के सहारे जीवित नही रहता, उसका एक मस्तिष्क भी है जिसे विचार रूपी खुराक की आवश्यकता होती है।'' यह एक भिन्न विषय है कि उन्होंने धर्म के रूप में हिन्दू धर्म की अलोचना की है तथा उसे अस्वीकृत कर दिया। डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि एक सामाजिक शक्ति के रूप में धर्म की उपेक्षा नही की जा सकती। डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि मेरी शिक्षा से बहुत कुछ लाभ हुये हैं, मैं इन्हें मेरे अन्दर धार्मिक भावनाओं के कारण मानता हूँ। मैं धर्म चाहता हूँ किन्तु धर्म के नाम पर दोगलापन नहीं। डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि में यदि कोई धर्म अपने अनुयायियों को आत्म सम्मान, परस्पर सहयोग, सत्ता एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने में अवरोध पैदा करे, व्यवसाय तथा कार्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर समता भाव से वंचित करे, वह एक अच्छा धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह तक कह दिया कि ''वह धर्म जो मनुष्य को मनुष्य के साथ अमानवीय ढंग से व्यवहार करने का उपदेश देता है धर्म नहीं अपितु एक अपकीर्ति है।'' वह धर्म जिसमें पशुओं तक को स्पर्श करने तथा उनकी पूजा करने की भी अनुमति है, किन्तु एक मानव प्राणी का दूसरे मानव प्राणी को स्पर्श करना दूषित करता हो वह धर्म नहीं अपितु एक मजाक है। वह धर्म जो कुछ वर्गों को शिक्षा से अलग रखता है, उन्हें धन संचय और शास्त्र रखने से रोकता है, वह धर्म नहीं है अपितु एक निरंकुशता है।'' डॉ. अम्बेडकर कहते थे कि मेरा यह दुर्भाग्य है कि मैं अछूत का कंलक लेकर पैदा हुआ, किन्तु यह मेरा दोष नहीं है, किन्तु हिन्दू की हैसियत में नहीं मरूंगा क्योकि यह मेरे वश में है। हिन्दू धर्म की कुछ बातों से क्षुब्ध होकर उन्होंने बौध धर्म ग्रहण कर लिया था।

डॉ. अम्बेडकर की धर्म सम्बन्धी अवधारणा मानववाद में अन्तर्निहित है, मानवतावाद के बिना उनके धर्म का विचार अकल्पनीय है। अम्बेडकर की दृष्टि में सच्चा धर्म मानव चेतना, बुद्धि, स्वतन्त्र चिंतन, मित्रता, प्रेमबंधुता, समता, स्वतन्त्रता और न्याय पर आधारित है।

पत्रकारिता

डॉ. अम्बेडकर एक सफल पत्रकार व संपादक भी रहे। डॉ. अम्बेडकर दलित पत्रकारिता के प्रथम संपादक, संस्थापक एवं प्रकाशक थे। उनका मुख्य ध्येय पत्रकारिता के माध्यम से दलित आंदोलन को सफल बनाना था। उस समय अपका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र था एवं वहाँ की मुख्य भाषा मराठी थी, इसलिये कई वर्षो तक आपने मूकनायक (1920), बहिष्कृत भारत (1927), समता (1928), जनता (1930) एवं प्रबुद्ध भारत (1956) नामक मराठी पत्रिकाओं का

सफल संपादन किया।

पूना पैक्ट

अब तक भीमराव अम्बेडकर आज तक की सबसे बडी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्यधारा के महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गाँधी की भी आलोचना की, उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया।

1932 में जब ब्रिटिशों ने अम्बेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुये अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की। कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत अम्बेडकर द्वारा उठाई गई राजनैतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को दो वोटों का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे व दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आजादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोट से चुना जाना था। इस प्रावधान से अब दलित प्रतिनिधि को चुनने में सामान्य वर्ग का कोई दखल शेष नहीं रहा था। लेकिन वहीं दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने में अपनी भूमिका निभा सकता था। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या को अच्छी तरह से तो रख सकता था किन्तु गैर उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता।

गाँधी इस समय पूना की येरवडा जेल में थे। कम्युनल एवार्ड की घोषणा होते ही गाँधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की। लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। तभी अम्बेडकर ने कहा कि ''यदि गाँधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। देश में बढ़ते दबाव को देख अम्बेडकर 24 सितम्बर 1932 को शाम पांच बजे येरवडा जेल पहुँचे। यहां गाँधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते मे अम्बेडकर ने दलितों को कम्यूनल अवॉर्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की। लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा कर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाईं और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया और इस तरह से अम्बेडकर ने महात्मा गाँधी की जान बचाई। अम्बेडकर इस समझौते से असमाधानी थे, उन्होंने गाँधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी माँग से पीछे हटने के लिये दबाव डालने के लिये गाँधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया।

लेखन कार्य

डॉ. अम्बेडकर ने कई पुस्तकों का लेखन कार्य किया जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

1. अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट्स (जाति प्रथा का विनाश) (1936)
2. विच वे टू इमैनसिपेशन (1936)
3. फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम (1936)
4. पाकिस्तान और द पर्टिशन ऑफ इण्डिया थॉट्स ऑन पाकिस्तान (1940)
5. रानडे, गाँधी एंड जिन्नाह (1943)
6. मिस्टर गाँधी एण्ड दी एमेन्सीपेशन ऑफ दी अनटचेबल्स (1945)
7. वॉट कांग्रेस एंड गाँधी हैव डन टू द अनटचेबल्स? (1945)

8. कम्यूनल डेडलाक एण्ड अ वे टू साल्व इट (1946)
9. हू वेर दी शूद्राज? (1946)
10. द कैबिनेट मिशन एंड द अंटचेबल्स (1946)
11. स्टेट्स एण्ड माइनोरीटीज (1947)
12. द अनटचेबल्सः हू वेर दे आर व्हाय दी बिकम अनटचेबल्स (1948)
13. द बुद्धा एंड हिज धम्मा (भगवान बुद्ध और उनका धम्म) (1957)
14. रिडल्स इन हिन्दुइज्म
15. वेटिंग फॉर अ वीजा (आत्मकथा)
16. अ पीपल ऐट बे
17. द अनटचेबल्स और द चिल्ड्रेन ऑफ इंडियाज गेटोज
18. केन आय बी अ हिन्दू?
19. इण्डिया एण्ड कम्यूनिज्म
20. कोन्स्टिट्यूशन एंड कोस्टीट्यूशनलीजम

शैक्षिक दृष्टिकोण

डॉ. अम्बेडकर ने अपने जीवन मे शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया है और उन्होंने जोर देकर कहा है कि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य समृद्ध हो सकता है। डॉ. अम्बेडकर अपने समय में दलित समुदाय से सबसे अधिक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे, इन्होंने लंदन, अमेरिका और भारत से कई उच्च डिग्रीयां प्राप्त की थी। डॉ. अम्बेडकर की शैक्षिक योग्यता, विद्वता और प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि उन्हें ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। डॉ. अम्बेडकर अछूतों और महिलाओं के साथ–साथ सभी भारतीयों की शिक्षा के लिये निरंतर प्रयासरत रहे। डॉ. अम्बेडकर ने वंचित एवं दलित समुदाय की शिक्षा के लिये पीपुल्स एज्यूकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसे हर एक व्यक्ति की पहुँच के अन्दर लाया जाना चाहिए। शिक्षा से ही मनुष्य को विवेक का बोध होता है और विवेकहीन मनुष्य पशु तुल्य होता है। मानवीय मूल्यों की परिकल्पना शिक्षा द्वारा ही संभव है, शिक्षा से सदाचार, शील, इंसानियत और राष्ट्रीयता का बोध होता है। शिक्षा रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं बल्कि सम्मान प्राप्त करने का साधन है।

डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा के प्रति कुछ विचार निम्न लिखित हैंः

1. यह जानते हुए कि शिक्षा ही जीवन में प्रगति का मार्ग है, छात्रों को कठिन अध्ययन करना चाहिए और समाज के वफादार नेता बनना चाहिए।
2. हमें शिक्षा के प्रसार को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि हम राजनीतिक आंदोलन को महत्व देते हैं। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के बिना देश की कोई भी विकास योजना पूरी नहीं होगी।
3. शिक्षित बनो, आंदोलन करो संगठित रहो, आत्मविश्वासी बनो, कभी भी हार मत मानो, यही हमारे जीवन के पांच सिद्धांत हैं।
4. किसी भी समाज का उत्थान उस समाज में शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करता है।
5. ज्ञान मानव जीवन का आधार है। छात्रों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना और बनाए रखने के साथ ही उनकी बुद्धि को उत्तेजित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आप शिक्षित हो गए इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ हुआ। शिक्षा के महत्व में कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ–साथ शील (नैतिकता) भी सुधारी जानी चाहिए, नैतिकता के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है।

6. प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रिक प्रचार सर्वांगीण राष्ट्रीय प्रगति के भवन का आधार है इसलिए प्राथमिक शिक्षा के मामले में अनिवार्य कानून बनाया जाना चाहिए।
7. इस दुनिया में स्वाभिमान से जीना सीखो। इस दुनिया में कुछ करके ही दिखाना है यह महत्वाकांक्षा हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए।
8. स्वच्छ रहना सीखें और सभी दुर्गुणों से मुक्त रहें। अपने बच्चों को शिक्षित करें। उनके मन में धीरे–धीरे महत्वाकांक्षा जगाएं। उन्हें विश्वास दिलाएं कि वे महान व्यक्ति बनने जा रहे हैं। उनके अंदर की हीनता को नष्ट करें। उनकी शादी करने में जल्दबाजी न करें।
9. छात्रों को बस्ती–बस्ती में जाकर लोगों की अज्ञानता और मूर्खतापूर्ण विश्वासों को दूर करना चाहिए, तभी उनकी शिक्षा से लोगों को कुछ लाभ होगा। अपने ज्ञान का उपयोग केवल परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें अपने ज्ञान का उपयोग अपने भाइयों और बहनों के सुधार एवं प्रगति करने के लिए करना चाहिए तभी भारत समृद्ध होगा।
10. ग्रंथ ही गुरू हैं।
11. अपने स्वयं के ज्ञान को धीरे–धीरे बढ़ाते रहना, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है ?
12. पढ़ोगे तो बचोगे।
13. मुझे लोगों के सहवास से ज्यादा किताबों का सहवास पसंद है।
14. यदि कोई व्यक्ति जीवन भर सीखना चाहे तो भी वह ज्ञान सागर के पानी में घुटने जितना ही जा सकता है।
15. 'शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो'।
16. शिक्षा एक पवित्र संस्था है। स्कूल में मन सुसंस्कृत होते हैं। सभ्य नागरिक बनाने के लिए स्कूल एक पवित्र क्षेत्र है।
17. शिक्षा का लक्ष्य लोगों को नैतिक और सामाजिक बनाना है।
18. शिक्षा बाघिन का दूध है और जो उसे पीएगा वह बाघ की तरह गुर्राएगा जरूर।
19. आप ही अपने जीवन के शिल्पकार हो।
20. मैं किसी समाज की प्रगति को उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ।
21. प्रत्येक छात्र को अपने चरित्र का निर्माण प्रज्ञा, शील, करुणा, विद्या और मैत्री इन पंचतत्वों के आधार पर करना चाहिए।
22. शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। समय आने पर भूखे रहो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ।
23. बच्चों को स्कूल पहुंचा देना ही काफी नहीं है, उन्हें बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने तक स्कूल से जोड़े रखना भी जरूरी है। ठीक ऐसे ही जैसे कि पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उन पेड़ों को खाद–पानी देकर सींचना भी जरूरी है, वर्ना उन्हें मरने में देर नहीं लगेगी।
24. शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निडर बनाए, एकता का पाठ पढ़ाए, लोगों को अधिकारों के प्रति सचेत करे, संघर्ष की सीख दें और आजादी के लिए लड़ना सिखाऐं।
25. लोगों का जीवन–स्तर उठाने लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है।
26. असली शिक्षा हमें भयभीत करने की जगह तार्किक बनाएगी।
27. जो आदमी को योग्य न बनाए, समानता और नैतिकता न सिखाए, वह सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो समाज में मानवता की रक्षा करती है, आजीविका का सहारा बनती है, आदमी को ज्ञान और समानता का पाठ पढ़ाती है। सच्ची शिक्षा समाज में जीवन का सृजन करती है।
28. मैं अपना सारा जीवन एक छात्र के रूप में जीना चाहता हूँ।

29. शिक्षा ही जीवन में वास्तविक प्रगति की कुंजी है।
30. जब विद्यार्थी सीख रहे हों तो उन्हें 'सीखने' का एक ही लक्ष्य अपने सामने रखना चाहिए।
31. ज्ञान सभी मनुष्यों के लिए भोजन के समान है।
32. मनुष्य इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता जब तक कि शील और शिक्षा पास न हों।
33. ज्ञान और विद्या केवल पुरुषों के लिए नहीं है वह महिलाओं के लिए भी आवश्यक है।
34. अगर आपके पास दो रुपये हैं तो एक रुपये की रोटी और एक रुपये की किताब ले लीजिए, क्योंकि रोटी आपको जीने में मदद करेगी और किताब आपको जीना सिखाएगी।
35. शिक्षा हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
36. शिक्षा वह है जो व्यक्ति को उसके अस्तित्व, क्षमता और सामर्थ्य से अवगत कराती है।

निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत मे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र लाने के लिये आजीवन संघर्षरत् रहे। वे अमूर्त विचारक नहीं थे, वे हमेशा कार्यवाही की दुनिया में रहते थे। डॉ. अम्बेडकर जहाँ नई सामाजिक व्यवस्था के अग्रदूत थे, वहीं अपने समकालीनों में अत्याधिक विद्वान व्यक्ति भी थे।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल सुदर्शन, *डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, आदमी और उसका संदेशः एक स्मारक यात्रा,* भारत का प्रेंटिस हॉल, 1991।
2. अम्बेडकर, भीमराव रामजी, *डॉ. अम्बेडकर एंड डेमोक्रेसीः एन एंथोलॉजी* 2018।
3. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, लेखन और भाषण, 2002।
4. अम्बेडकर, बी.आर., *द बुद्धा एंड हिज़ धम्मः ए क्रिटिकल एडिशन,* ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, 2011।
5. अम्बेडकर, महेश, *आधुनिक भारत के बास्तुकारः डॉ भीमराव अम्बेडकर,* हीरा पॉकिट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, 2016।
6. ग्रोवर, वरिंदर, *आधुनिक भारत के राजनीतिक विचारकः बी.आर. अम्बेडकर,* 1992।
7. हांडे, एच.वी., और भीमराव रामजी अम्बेडकर, *अम्बेडकर एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन संविधानः बाबासाहेब को श्रद्धांजलि बी.आर. अम्बेडकर,* 2009।
8. सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद, इंडियाः डब्ल्यू.एन.कुबेरः बी.आर. अम्बेडकर, संविधान के निर्माता आधुनिक भारत श्रृंखला, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1978।
9. अम्बेडकर, बी.आर. (1987), *डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर लेखन और भाषण,* खंड–2।
10. अम्बेडकर, बी.आर., (1990), *एनिहिलेशन ऑफ कास्टः एन अनडिलीवरेड स्पीच,* अर्नोल्ड प्रकाशक।
11. अम्बेडकर, डी.बी., (1979), *लेखन और भाषण,* वॉल्यूम– 4, बॉम्बेः विभाग शिक्षा, महाराष्ट्र सरकार।
12. अम्बेडकर, बी.आर., कांग्रेस और गांधी ने अछुतों के लिए क्या किया है? (ठाकर एवं कंपनी, बॉम्बे, 1945)
13. www.dhammabharat.com
14. www.wikipedia.org
15. www.google.com

––==00==––